


16.7.19

वकील वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली सिंगह से तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वकील वादिया ने बताया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। और वादिया इस प्रकरण में अपने कोई कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध नहीं चाहती हैं। इसलिए उक्त प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप करमाया जावे।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, वकील वादिया को सुना गया, वकील वादिया का प्रा.पत्र स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर नम्बर से फम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला मीलवाड़ा



निष्कर्ष

16/7/19

१६